(6)

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: जयसिंह (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 6/2021

सरकार बनाम हवासिंह पुत्र देवकरण, जाति– जाट,
निवासी– ढाणी ब्राह्मणान

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 24.02.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हवासिंह पुत्र देवकरण, जाति– जाट, निवासी–ढाणी ब्राह्मणान द्वारा रोही मौजा ढाणी ब्राह्मणान की भूमि ख.नं. 99 के कुल रकबा 0.2800 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0300 है0 भूमि पर सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावें ।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 36
वर्ष 2020-21 में रुपये 12/- कायम
राजस्व लिपिक

(जयसिंह)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़